



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय
Headquarters
पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

सं० I-11013/12/2021-आईसीटी (ई1067)

दिनांक: 19.07.2024

सेवा में,

सभी बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त/वित्तीय आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी/मुख्य अभियंता,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय।
सभी अतिरिक्त आयुक्त/क्षेत्रीय निदेशक/उप-निदेशक (प्रभारी), क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय,
सभी डीन, ईएसआईसी मेडिकल/डेंटल कॉलेज
सभी चिकित्सा अधीक्षक, ईएसआईसी अस्पताल / मॉडल अस्पताल
सभी राज्य ईएसआई निदेशालय,
D(M) D, D(M) N

विषय: सभी ईएसआईसी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए इंटरनेट उपयोग के लिए नीति- के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि सभी कार्यालयों, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, कर्मचारियों और अधिकारियों के अनुपालन के लिए एक इंटरनेट उपयोग नीति तैयार की गई है। नीति दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

1. इंटरनेट सुविधा ईएसआईसी उपयोगकर्ताओं को संस्थान के हित को बढ़ाने के लिए उनकी वर्तमान आधिकारिक क्षमता में प्रदान की जाती है और इसके दुरुपयोग / डिफॉल्ट पर किसी भी समय वापस ली जा सकती है।
2. इंटरनेट सुविधा के लिए पात्र उपयोगकर्ताओं का निर्णय संबंधित ईएसआईसी यूनिट प्रमुख/मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता वाले अधिकारी और कर्मचारी इंटरनेट सुविधा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया का पालन करने और इंटरनेट सुविधा के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने की आवश्यकता है जैसा कि नीचे बताया गया है।
3. यह सुविधा केवल व्यक्ति को प्रदान की जाती है और इसे साझा नहीं किया जाना है। उपयोगकर्ता अपने उपकरणों का उपयोग करके इंटरनेट तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए उन्हें जारी किए गए उपकरणों के अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की गोपनीयता बनाए रखेंगे।
4. कर्मचारी से उसकी वर्तमान स्थिति से स्थानांतरण पर सुविधा वापस ले ली जाएगी।
5. उपयोगकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संचार या सेवाओं का उपयोग देश के स्थापित कानून के अनुरूप होना चाहिए और प्रचलित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का पालन करना चाहिए। एक व्यक्ति के रूप में उपयोगकर्ता को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के किसी भी उल्लंघन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
6. सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इंटरनेट सेवा के उपयोग की निगरानी/ट्रैकिंग की जाती है। इस सेवा का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह की निगरानी/ट्रैकिंग के लिए सहमति देता है।
7. उपयोगकर्ता, जिसके नाम पर इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाती है, को इंटरनेट एक्सेस सेवा के उचित उपयोग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी माना जाता है। इस सुविधा का उपयोग करते हुए पाए/ट्रैक किए गए लोगों के खिलाफ जवाबदेही तय की जा सकती है।
8. कॉपीराइट सामग्री का उपयोग केवल कॉपीराइट कानून के अनुसार किया जाना चाहिए।
9. मुख्यालय और इकाइयों/स्थानों पर संबंधित आईसीटी विभाग/सामान्य शाखा इंटरनेट सेवाओं को यथासंभव विश्वसनीय बनाए रखेगी। हालांकि, ईएसआईसी मुख्यालय / स्थान इकाई अपने उचित नियंत्रण से परे सेवाओं में रुकावट के मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

10. कई इंटरनेट साइटों का उपयोग मालवेयर ले जाने के लिए जाना जाता है और यदि कोई इन साइटों का दौरा करता है, तो कंप्यूटर पर मालवेयर स्वचालित रूप से स्थापित किए जा सकते हैं। इसलिए, उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दी जाती है कि वे इस तरह की साइटों को खोलने से बचें; यदि आधिकारिक ड्यूटी के दौरान ऐसी सभी साइटों का उपयोग किया जाना है तो ऐसी साइटों का उपयोग करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।
11. मोबाइल (स्मार्ट फोन और टैब) उपयोगकर्ताओं को कार्यस्थल पर ईएसआईसी नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। हालांकि, मेडिकल कॉलेजों/छात्रावासों/ऑडिटोरियम/पुस्तकालय आदि जैसे विशिष्ट स्थानों को यूनिट/स्थान के प्रमुख से उचित अनुमोदन से छूट दी जा सकती है। हालांकि, ऐसे उपयोगकर्ताओं को ईएसआईसी आंतरिक नेटवर्क तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाएगी और केवल न्यूनतम बेसलाइन नीति (ईएसआईसी की यूआरएल फिल्टरिंग सूची के अनुसार प्रिविलेज एक्सेस श्रेणी) के साथ इंटरनेट तक ही सीमित होगा।

ईएसआईसी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। इन निर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(जय प्रकाश शर्मा)
उप-निदेशक (आईसीटी)